



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

पत्रांक 1461 / 3 सी(व०भू०)

दिनांक 20/05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत सल्ला-भाटकोट से सूकना सल्यूणी तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/46712/2020)।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्र सं० -8बी०/यू०सी०पी/०६/123/2020/ एफ०सी०/1578
दिनांक-16.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है:-

क्र	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं० -1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	2 शर्त सं० -2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.5600 है० अवनत वनभूमि दूनागिरी क०सं० 02 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	3 शर्त सं० -3 प्रतिपूरक वनीकरण- क- आपके प्रभाग से सम्बन्धित है। ख- आपके प्रभाग से सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त सं० -4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि-25,49,411.00 (पच्चीस लाख उनपचास हजार चार सौ ग्यारह रुपया मात्र) उत्तरांचल कैपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति संलग्न है। शेष शर्तें आपके विभाग से सम्बन्धित हैं।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक-30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक-03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक-05.02.2009 में	शर्त सं०-5 शुद्ध वर्तमान मूल्य 5 (क) के अनुपालन में एन०पी०बी० की धनराशि रु०-24,83,460.00 मात्र (चौबीस लाख तेरासी हजार चार सौ साठ रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।

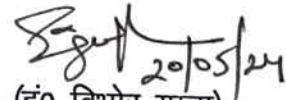
	जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.565 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।	चालान की प्रति संलग्न है। 5 (ख) के अनुपालन में एन०पी०बी० की बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 31 trees including 5 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त सं०-6 के अनुपालन में प्रस्तावित 31 trees including 5 saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त सं०-7 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधक और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त सं० -8 आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त सं०-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं०-10 के अनुपालन में एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त सं०-11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त सं०-12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त सं०-13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।

14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक द्वारा शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त सं0-14 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई श्रमिक शिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त सं0-15 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी भी अन्य कानूनी स्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त सं0-16 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त सं0-17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त सं0-18 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	शर्त सं0-19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC, दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त सं0-20 के अनुपालन में उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल सं0-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक-29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त सं0-21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा	शर्त सं0-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह

	परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथासंभव रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त सं0-23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त सं0-24 के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

ok


(इं० विभोर गुप्ता)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ok


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० १)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित कार्य हेतु अधिरोपित वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 2)

कार्य का नाम:-जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ३)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है उक्त बिन्दु में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा किया जाना है।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



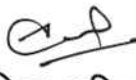
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 4)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि—25,49,411.00 (पच्चीस लाख उनपचास हजार चार सौ ग्यारह रुपया मात्र) की धनराशि उत्तरांचल कैपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5 क)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु एन०पी०बी० की धनराशि रु०—24,83,460.00 मात्र (चौबीस लाख तेरासी हजार चार सौ साठ रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5 ख)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि एन०पी०वी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

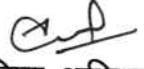

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

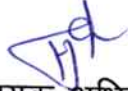
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 6)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु 31 trees including 5 saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा, पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 7)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है (चालान की प्रति संलग्न)।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ८)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ९)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है उक्त बिन्दु में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 10)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 11)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना हेतु संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने हेतु विभाग सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 12)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करने हेतु विभाग सहमत है।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 13)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 14)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है वनभूमि पर कोई श्रमिक सिविल विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 15)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 16)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभि
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 17)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 18)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 19)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित न किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 20)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि अधिरोपित किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल सं०—11-42/2017—एफ०सी० दिनांक—29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 21)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

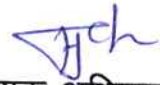
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 22)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 23)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 24)

कार्य का नाम:—जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग के अन्तर्गत कसारदेवी (तिवारीखान) से ग्राम माट तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना की अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा